



RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD

Regd. Office: Vidyut Bhawan Jyoti Nagar, Jan Path, Jaipur-302005


Tele-Fax+91-141-2740455

No.: RVPN /DS (APAR) /F.-03/ IPR/ D. 97 Jaipur, Dated: - 26.07.2021

In reference to circular No. F 13 (76) Personnel/K-1/Conf. Report/2021 Jaipur, Date 12th July, 2021, Copy submitted/forwarded to the followings for information and circulation in various offices their jurisdiction and control:-

1. The Chief Controller of Accounts, RVPN, Jaipur.
2. The Chief Engineer/Addl. Chief Engineer () RVPN, _____
3. The Company Secretary, RVPN, Jaipur.
4. The Controller of Internal Audit, RVPN, Jaipur.
5. The Chief/Dy. Accounts Officer (), RVPN, _____
6. The Chief Personnel Officer, RVPN, Jaipur.
7. The Joint Legal Remembrance, RVPN, Jaipur.
8. The Superintending Engineer (), RVPN, _____
9. The Joint/Dy. Director/ Personnel Officer (), RVPN, _____
10. The Sr./ Accounts Officer (), RVPN, _____
11. TA/PS to CMD/Director (), RVPN, Jaipur
12. Joint/Dy./Asstt. Secretary (), RVPN, Jaipur
13. PA to Secretary (Admn.), RVPN, Jaipur
14. The Executive/Assistant Engineer ()

By Order


26.7.21
(N. K. Bairwa)

Assistant Secretary (APAR)

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग


क्रमांक प. 13(76) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2021

जयपुर, दिनांक 02 JUL 2021

--:परिपत्र:--

विषय:- समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन संशोधित IPR भरने के सम्बन्ध में।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 01.01.2021 के द्वारा राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों को वर्ष 2020 (1 जनवरी 2021 की स्थिति में) अपना अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर पर 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से भरा जाना था। अचल सम्पत्ति विवरण भरने हेतु समयवधि 31 जुलाई 2021 तक बढ़ाई जाती है।


(डॉ.रविन्द्र गोस्वामी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /उप शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग-7 कापियों सहित ।
9. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग ।


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
4. अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर ।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
6. पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर ।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
8. समस्त राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर राजस्थान ।
9. रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त-शासन सचिव